भारत सरकार
भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय
भारी उद्योग विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 313
जिसका उत्तर मंगलवार, 19 नवम्बर, 2019 को दिया जाना है

एफएएमई इंडिया योजना

313. कुमारी राम्या हरिदास :

क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने फास्टर एडोपशन एंड मैनुफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एडं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया (एफएएमई इंडिया) योजना के अंतर्गत माइल्ड हाइब्रिड के खरीददारों को दिए जा रहे प्रोत्साहन वापस ले लिए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या उक्त योजना को देश में इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रयोग को लोकप्रिय करने हेतु 2015 में प्रारंभ किया गया था; और

(घ) यदि हां, तो योजना के प्रारंभ से नकद और गैर-नकद सब्सिडी पर इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वालों की कुल संख्या कितनी है;

उत्तर
भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री
(श्री प्रकाश जावड़ेकर)

(क) और (ख): जी, हाँ। फेम इंडिया योजना के चरण-I के तीसरे पक्ष द्वारा आकलन के आधार पर दिनांक 01 अप्रैल, 2017 से हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहनों का तीव्र अंगीकरण एवं विनिर्माण (फेम-इंडिया) योजना के तहत माइल्ड हाइब्रिड वाहनों के खरीददारों को प्रोत्साहनों का लाभ वापस ले लिया गया।

(ग) से (घ): फेम इंडिया योजना का चरण-I वर्ष 2015 में आरंभ हुआ और यह दिनांक 31 मार्च, 2019 तक रहा। फेम इंडिया योजना के चरण-I के दौरान प्राप्त परिणाम एवं अनुभव के आधार पर और उद्योग एवं उद्योग संघों सहित सभी हितधारकों से परामर्श करने के बाद फेम इंडिया योजना के दूसरे चरण को तीन वर्षों की अवधि के लिए दिनांक 01 अप्रैल, 2019 से आरंभ किया गया है। आज की तारीख के अनुसार, फेम इंडिया योजना तहत ₹360 करोड़ (लगभग) की सब्सिडी देकर इलेक्ट्रिक/हाइब्रिड वाहनों (एक्सईवी) के लगभग 2.85 खरीददारों की सहायता की गई है।

*****